बनाम

तीजा बनाम रुकमा

…क आज्ञा या …र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
…/10/21	पत्रावली [illegible] साहब अन्य [illegible] है। अत: पत्रावली [illegible] दिनांक 14/10/21 को पेश हो। [illegible]	
…4/10/21	पत्रावली [illegible] साहब अन्य [illegible] है। अत: पत्रावली [illegible] दिनांक 20/10/21 को पेश हो।	
…/10/2…	पत्रावली उभयपक्षों की सहमति से प्रशासन गाँवों के संग अभियान ग्राम पंचायत नूरसादपुर में पेश हुई। वकील वादीया व प्रतिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जाब्ता दिवानी बाबत वाद का प्रत्याहरण किये जाने हेतु इस आशय का पेश किया [illegible] कि वादीया द्वारा [illegible] के नाम की पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा, [illegible] Contd	LTI तीजा देवी (हनुमान सहाय शर्मा) Identify by Amit Kajaria Adv. (वादी)

…धिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:19 IST
Reason: SelfAttested

नाम न्यायालय

केस संख्या तीजा बनाम रुकमा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के संबंध में वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वाद में वादग्रस्त सम्पत्ति वादिया के पिता सूरज नारायन की समस्त चल व अचल सम्पत्तियों के संबंध में प्रकरण के पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। तथा वादिया का सूरजनारायन के नाम की समस्त चल अचल सम्पत्तियों के संबंध में कोई विवाद शेष नहीं है। वादिया द्वारा सूरजनारायन के नाम व अन्य समस्त चल-अचल सम्पत्तियों की एवज में प्रतिवादी 1 लगायत 8 से एक मुश्त राशि प्राप्त कर ली है। अब कोई लेन-देन शेष नहीं है। तथा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष [illegible] वादिया ने वाद [illegible] प्रत्याहरित [illegible] किया। वकील प्रतिवादी 1 लगा. 8 द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में अनापत्ति जाहिर की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:19 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] खण्ड अधिकारी [illegible]

बनाम

...या / वर्ष : तीजा / 20 [illegible]

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	प्रतिवादी 8 लगा 14 द्वारा वादिया के प्रा०पत्र का जवाब मय शपथपत्र प्रस्तुत किया व प्रा०पत्र को स्वीकार किये जाने में ऐतराज नहीं होने का कथन किया प्रा० पत्र व जवाब प्रा० पत्र तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वादिया बिना शर्त के वाद को विड्रा करना चाहती है जिसमें किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है अतः न्यायहित में वादिया का वाद पत्र को विड्रा किया जाने का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को खारिज किया जाता है पत्रावली कौशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	नि. R कस्तूरी नि. R [illegible] नि. कमला नि. कृष्णादेवी नि. चान्दीदेवी नि. [illegible] नि. बाबूडी नि. बाला पहचान कर्ता Raj Pal Advocate (राजेन्द्र शर्मा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:46:19 IST
Reason: SelfAttested